

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यवधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. स.	नाम कार्मिक भय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	सुशील कौर अध्यापक लेवल-2	डॉ. पदमचन्द्र बिलमकवर गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजीडेन्ट्री रोड, जोधपुर	17.03.1967	लंदन, (UNITED KINGDOM) दिनांक: 20.11.2021 से 22.12.2021 (कुल 33 दिनस)

शर्तः—

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश लेने के पश्चात् निम्नांकित विवरण पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंदे :—
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/ संस्था का राजकीय कर्तव्य/ शिक्षण कार्य प्रनावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यमान्त्र महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्कालीन कोई विमानस्थ जानकारी यात्रा अवधि के अन्तर्गत अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्कालीन कोई न्यायिक इवाज़ा लगायी अवधि के अन्तर्गत नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश पर वाली ही हो सकती है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय/ संस्था विदेश प्रवास में ठहरे का पूर्ण पता भय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवायी जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किसी भी विदेशी संस्था का अध्ययन/ व्यवसःय/ नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी नियमानुसार यात्रा की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभियान/ संचार की संभाविता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमव जयते

क्रमांक: शिविरा-मा / संस्था / एफ-3 / 13320 / विदेश यात्रा / 2021 / पार्ट-1 | 92
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- 1— संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जोधपुर संमाग, जोधपुर।
- 2— जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जोधपुर।
- 3— सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विमानीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 4— संविधित संस्था प्रधान/ कार्मिक।
- 5— रक्षित पत्रावली।

दिनांक: 18-10-21

संयुक्त निदेशक (प्रतिलिपि)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर